

encl (3)

कार्यालय प्रधानाचार्य :: जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज, कानपुर।
संख्या ६.१.९. /एन.डी./एससीएमटी/२०१०

दिनांक ०२/११/२०१०

४

- निदेशक (प्रशासन),
- सौई कालेज ऑफ मेडिकल साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
चौबेपुर, कानपुर।

विषय:-सौई कालेज ऑफ मेडिकल साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, भिन्डूरी, चौबेपुर, कानपुर में पौरामेडिकल पाठ्यक्रमों
के छात्रों को क्लीनिकल ट्रेनिंग की सुविधा लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध विकित्सालय/संस्थानों
उपलब्ध कराने हेतु सहमति।

महोदय

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक ०२/११/२०१०, जिसमें आपने अपने संस्थान में संचालित विभिन्न¹
पौरामेडिकल पाठ्यक्रमों/प्रारम्भ किये जाने वाले वी. एस.-सी. नरसिंग एवं जी. एन. एम. नरसिंग पाठ्यक्रम के
प्रशिक्षणार्थियों की क्लीनिकल ट्रेनिंग की सुविधा लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध विकित्सालय/संस्थान में उपलब्ध
कराने की सहमति शासनादेश संख्या १०७६/७-०९-०९-अ-३५/२००५ दिनांक ०३/०९/२००७ एवं
संख्या १२३८/७१-०९-०५-अ-३५/२००५ दिनांक २७/०४/२००५ के प्रविधानों के अन्तर्गत अनुरोध किया
है, का संदर्भ ग्रहण करते।

बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम के छात्रों को आपको सब्र २००६-०७ से क्लीनिकल ट्रेनिंग की
सुविधा लाला लाजपत राय विकित्सालय में पूर्व से ही अनुमत्य की गई है। आगले सब्र से वी. एस.-सी. नरसिंग एवं जी.
एन. एम. नरसिंग पाठ्यक्रमों, जो इंडियन नरसिंग काउंसिल के पाठ्यक्रमनुसार प्रारम्भ किये जाने हैं, उसके
लिए आपके महाविद्यालय के उक्त पाठ्यक्रमों के छात्रों के क्लीनिकल ट्रेनिंग की सुविधा शासनादेश दिनांक
०३/०९/२००७, एवं दिनांक २७/०४/२००५ के प्रविधानों एवं प्रशासनिक अनुमति के अन्तर्गत अधिकारम
२० के वैचाकी प्रशिक्षण प्रदान करते की सहमति दी जाती है। आपका इन्हें विद्यालय, सम्बन्धित क्लीनिकल
ट्रेनिंग के प्रशिक्षण और इसके लिए रु २५०/- प्रतिमाह प्रतिष्ठान की दर से नियमनुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ होने
से पूर्व इस कार्यालय में जगा करता सुनिश्चित करेगा।

(डा. आनन्द स्वरूप)

A. A. V. M. Medical College
KANPUR

संख्या तिनांक:
प्रतिलिपि मुख्य विकित्सा अधीक्षक, लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध विकित्सालय, कानपुर को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

T. C. Attn
R - S. fel

(डा. आनन्द स्वरूप)
प्रधानाचार्य

Director (Admin.)
SCMAT, Kanpur

Saiji College of Medical Science & Technology
Opp-Chaubeypur Police Thana Bhinduri
Chaubeypur, KANPUR-248223

कार्यालय प्रधानाचार्य :: जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज :: कानपुर।
संख्या ६२९२/एन.डी./एससीएमएटी/२०११

दिनांक १२/१२/२०११

निदेशक (प्रशासन),
सौई कालेज ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
भिन्दुरी, चौबेपुर,
कानपुर।

विषय:- सौई कालेज ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, भिन्दुरी, चौबेपुर, कानपुर में अध्ययन रत ए०एन०एम० पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थीयों को लाठ्ला० राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय/संस्थान कानपुर में वलीनिकल ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया अपने पत्र संख्या ६२२/एससीएमएटी/२०११ दिनांक २२-११-२०११ जिसमें आपने अपने महाविद्यालय में वर्ष-२०१२-१३ से प्रारम्भ होने जा रहे ए०एन०एम० पाठ्यक्रम प्रशिक्षणार्थीयों को इंडियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार लाठ्ला० राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय/संस्थान कानपुर में वलीनिकल ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

शासनादेश दिनांक ०३-०७-२००७ एवं २७-०८-२००५ के प्राविधानों एवं प्रशासनिक अनुमति के अन्तर्गत आपके महाविद्यालय के प्रश्नगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थीयों की वलीनिकल ट्रेनिंग की सुविधा इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध लाठ्ला० राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में प्रदान करने की सहमति प्रदान की जाती है। प्रशिक्षणार्थी अधिकतम २० के बैच (ग्रुप) में वलीनिकल ट्रेनिंग हेतु चिकित्सालय में उपस्थित होने तथा आपका महाविद्यालय सम्बन्धित वलीनिकल ट्रेनिंग की अवधि के लिए रु०-२५०/- प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से नियमानुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशिक्षण शुल्क इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेगा।

(डा. आनन्द स्वरूप)
प्रधानाचार्य

संख्या तिथिका:

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, लाठ्ला० राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(डा. आनन्द स्वरूप)
प्रधानाचार्य



प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर ।

सेवा में

निदेशक (प्रशासन)
साई कालेज आफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
कानपुर नगर ।

पत्रांक : मु0चि030/साई नर्सिंग होम/11/ २१७४

दिनांक : 07.04.11

विषय : साई कालेज आफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कानपुर के बी.एस.सी. नर्सिंग तथा फिजियोथेरेपिस्ट प्रशिक्षणार्थीयों को सामु0स्वाठकेन्द्र/प्राठस्वाठकेन्द्रों में कलीनीकल प्रशिक्षण/ इन्टर्नशिप की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अपने पत्र सं0 1132/एस.सी.ए.टी./बी.एस.सी. (एन) /2011 दिनांक 30.03.2011 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें निजी क्षेत्र में स्थापित साई कालेज आफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कानपुर नगर में अध्यन हेतु प्रस्तावित बी.एस.सी. नर्सिंग एवं फिजियोथेरेपी कोर्स हेतु छात्रों को सामु0स्वाठकेन्द्र/प्राठस्वाठकेन्द्र पर कलीनिकल/इन्टर्नशिप प्रशिक्षण दिलाये जाने की अनुमति की मांग की गयी है ।

बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को कलीनिकल/इन्टर्नशिप सामु0स्वाठकेन्द्र/प्राठस्वाठकेन्द्र स्तर पर निम्न शर्तों के साथ प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है –

1. संस्था द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 356(1)/71-2-11-एन-107/2007 टी.सी. दिनांक 31.01.11 के अनुसार इण्डियन नर्सिंग कॉंसिल नई दिल्ली की निरीक्षण रिपोर्ट एवं अनुमति/मान्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
2. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ की अनुमति/मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. उपरोक्त संस्था के बी.एस.सी. नर्सिंग छात्रों को वांछित प्रशिक्षण दिये जाने के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई स्टाइपेण्ड व यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । छात्रों/छात्राओं को सम्बद्धित कालेज से विभिन्न सामु0स्वाठकेन्द्र/प्राठस्वाठकेन्द्रों पर लाने व ले जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी तथा उनकी पूर्ण सुरक्षा का उत्तर दायित्व उपरोक्त संस्था का होगा ।
4. यह प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सालय अवधि पर ही देय होगा ।
5. यह स्वीकृत प्रशिक्षण सामु0स्वाठकेन्द्र, कल्याणपुर, प्राठस्वाठकेन्द्र, चौबेपुर तथा जिला चिकित्सालय यू०एच०एम०, कानपुर के लिये ही मान्य होगा ।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने अथवा पूर्ण न करने अथवा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति उठाये जाने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी ।
7. उपरोक्त अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का ही मान्य होगा ।

मवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर नगर ।

पत्रांक : मु0चि030/साई नर्सिंग होम/11/

तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ ।
2. सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, माल एवन्यू, लखनऊ ।
3. निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधीकारी, यू०एच०एम० चिकित्सालय, कानपुर नगर ।
4. प्रमारी चिकित्साधिकारी, सामु0स्वाठकेन्द्र, कल्याणपुर, प्राठस्वाठकेन्द्र, चौबेपुर, कानपुर नगर ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर नगर ।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय,
कानपुर/बलरामपुर चिकित्सालय/
डा० राम मनोहर लोहिया, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कानपुर नगर,

संख्या— प्रशिक्षणक्रमो/141/2014

लखनऊ : दिनांक 12/01/ 2016

विषय— जी०ए०ए० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध
में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनदेश संख्या—4396/पौच-8-2015-एन(138)/2008, दिनांक 14.12.2015 का
संदर्भ ग्रहण करें, जिसकी प्रतिलिपि आप को पृष्ठांकित है।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या—4396/पौच-8-2015-एन(138)/2008, दिनांक 14.12.
2015 एवं शासनादेश संख्या—2519/पौच-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक 25.10.2012, में दी गयी शर्तों के
अधीन साई कालेज आफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चौबेपुर, कानपुर नगर, में प्रशिक्षणरत जी०ए०ए०
छात्र/छात्राओं को जिला चिकित्सालय, कानपुर नगर/मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर एवं जी०सी०आर०सी०
कालेज ऑफ नर्सिंग, लखनऊ, में प्रशिक्षणरत जी०ए०ए० छात्र/छात्राओं को बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ एवं
डा० राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ को (वर्ष 2016) व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न
शर्तों व प्रतिवर्णों के अधीन प्रदान की जाती हैं।

1— सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डियूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के
साथ लगायी जायेंगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारू रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की
उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की क्षति होने की समावना अधीक्षक
जिला चिकित्सालय संबंधित संरक्षा को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संरक्षित करें तथा मुख्य चिकित्सा
अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करें। उक्त
व्यावहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।

सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ:
माह हेतु रुपया—1000/- यूजर चार्जेज के रूप में जमा किया जायेगा।

2— निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बैंच को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये
जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की
संयुक्त आँखा पर महानिदेशक की संरक्षित के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्ष हेतु निर्गत की जायेगी।

3— सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर
वर्ष-प्रति वर्ष प्रत्यतर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा
किया जायेगा।

4— उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय
शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

पत्र संख्या—प्रशिक्षणक्रमो/141/2014/ 107-09

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-8,
2. निदेशक साई कालेज आफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चौबेपुर, कानपुर नगर।
3. निदेशक जी०सी०आर०सी० कालेज ऑफ नर्सिंग, लखनऊ।

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)